

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF TOWN PLANNER
RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR

NO : ACTP/RHB/JPR/2017-18/653

Dt : 26.03.2018

To,

The Hon'ble Chairman/Housing Commissioner,
Rajasthan Housing Board, Jaipur.

The Chief Town Planner, Town Planning Department,
Govt. of Rajasthan, Jaipur.

Chief Engineer-I/Chief Engineer-II/Chief Engineer-(HQ)
Addl.C.E.-I/Addl.C.E.-III, Jaipur,
Addl. Chief Engineer-II, Jodhpur,
Rajasthan Housing Board.


Sub: Minutes of the 154th meeting of the Project Committee held on 15.03.2018

Sir,

Minutes of the 154th meeting of the Project Committee held on 15.03.2018 are
enclosed herewith for your kind perusal.

Thanking You,

Yours Sincerely


26/3/18

(S. L. SETHI)
ADDL. CHIEF TOWN PLANNER &
MEMBER SECRETARY

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 154 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 154 वीं बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2018 को साय: 3:00 बजे बोर्ड कक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | श्री श्रीचन्द कृपलानी,
अध्यक्ष,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | श्री प्रीतम बी. यशवंत
आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर | सदस्य |
| 3. | श्रीमती इन्दिरा चौधरी,
मुख्य नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर। | सदस्य |
| 4. | श्री के. सी. मीना,
मुख्य अभियन्ता-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 5. | श्री जी.एस. बाघेला,
मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 6. | श्री के. के. माथुर,
मुख्य अभियन्ता (मु.)
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 7. | श्री नत्थु राम,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 8. | श्री ए. के. रावत,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय/तृतीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 9. | श्री एस. एल. सेठी,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य-सचिव |

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा एजेण्डा पर चर्चा पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:-



एजेण्डा नं 1	परियोजना समिति की 153 वीं बैठक दिनांक 08.02.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 153 वीं बैठक दिनांक 08.02.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 2	परियोजना समिति की 153 वीं बैठक दिनांक 08.02.2018 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 153 वीं बैठक दिनांक 08.02.2018 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।
एजेण्डा नं 3	सेक्टर-5, मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में स्थित वाणिज्यिक भूखण्डों की प्लानिंग बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार भूखण्ड संख्या-5-C-2 व 5-C-4 में एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित विकल्प-2 एवं 5-C-3 प्रस्तावानुसार मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 4	अटरू आवासीय योजना मानचित्र में आरक्षित स्थल पर नियोजन के अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार सी ब्लॉक के ले-आउट में मुख्य नगर नियोजक के सुझाव अनुसार योजना में 12.00 मीटर चौड़ी सड़क पर प्रस्तावित 3 लम्बवत ब्लॉक के स्थान पर एक क्षितिज ब्लॉक प्रस्तावित किया जावे तथा पीछे की शेष भूमि में 3 लम्बवत ब्लॉक प्रस्तावित किये जावे। प्रकरण में उप आवासन आयुक्त यह सुनिश्चित करे कि योजना की भूमि पानी भराव/बहाव क्षेत्र से सुरक्षित है। इस संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट आने के पश्चात ही योजना की क्रियान्विति की जावे।
एजेण्डा नं 5	महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर-1, कोटा में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड के पुनः नियोजित मानचित्र के अनुमोदन हेतु।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 6	नैनवा आवासीय योजना, बूंदी में आरक्षित छोड़े गये स्थलों पर आवासीय नियोजन के अनुमोदन हेतु।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर मुख्य नगर नियोजक के सुझाव अनुसार सेक्टर-1 (पॉकेट-A) में तिकोणी भूमि में सृजित Gharounda, EWS एवं MIG-I के भूखण्डों को पार्क रखने के संशोधन के साथ एवं सेक्टर-3 में प्राईमरी स्कूल के पास स्थित आरक्षित छोड़े गये स्थल में प्रस्तावानुसार आवासीय नियोजन के मानचित्रों का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 7	मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर के शिप्रा पथ पर जोन-74, सेक्टर-7, में वाणिज्यिक भूखण्ड 7-C-2 को दो छोटे व्यावसायिक भूखण्डों में परिवर्तन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार अनुमोदन किये जाने एवं एकीकृत भवन विनियम-2017 के अनुसार पैरामीटर्स निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा नं 8	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान-4 के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-J5, वाणिज्यिक बैल्ट-B, वी.टी. रोड़, मानसरोवर, जयपुर आवासीय योजना में बहुमजिले फ्लेटों के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण को स्थगित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्ड पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश पर उप आवासन आयुक्त अपने स्तर पर विधिक राय प्राप्त कर स्थगन आदेश निरस्त करवाने की प्रभावी कार्यवाही करवाये।
एजेण्डा नं 9	डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना नागौर में व्यावसायिक भूखण्डों की प्लानिंग करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर मुख्य नगर नियोजक के सुझाव अनुसार व्यावसायिक भूखण्ड-A में सृजित 8 छोटे व्यावसायिक भूखण्डों के स्थान पर 18.00 मीटर चौड़ी सड़क की ओर 2 व्यावसायिक भूखण्ड एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-C में सृजित 6 व्यावसायिक भूखण्डों के स्थान पर 18.00 मीटर चौड़ी सड़क की ओर 2 व्यावसायिक भूखण्ड सृजित करने एवं शेष दोनों भूखण्डों की भूमि को यथावत व्यावसायिक रखते हुए सृजित भूखण्डों के सैटबैक एकीकृत भवन विनियम-2017 अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया। पॉकेट-D में प्रस्तावित मानचित्र में सीधे ब्लॉक में आगे-पीछे दुकानों के स्थान पर सड़क के लम्बवत ब्लॉक बनाये जाने के संशोधन के साथ तथा पॉकेट-B एवं पॉकेट-E का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 10	कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर के अन्तर्गत सेक्टर-4 में व्यवसायिक भूखण्ड ब्लॉक (4-एस-1 से 4-एस-10) में भूखण्ड संख्या 4-एस-7, के माप में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 11	आवासीय योजना जैसलमेर में सामुदायिक भवन की ड्राईंग उपलब्ध करवाने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार सामुदायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 12	आवासीय योजना मगरा, बाड़मेर एवं आवासीय योजना फलोदी में वाणिज्यिक भूखण्डों की प्लानिंग बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से एजेण्डा प्रस्तावानुसार मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि एकीकृत भवन विनियम-2017 के अनुसार भूखण्डों के सैटबैक अंकित किये जाये। उप आवासन आयुक्त अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लॉट A में स्थित 11 KV H.T. Line को शिफ्ट होने के पश्चात् ही योजना की क्रियान्विति की जावे।
एजेण्डा नं 13	कोटा शहर में लंबित पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु महावीर नगर पारिजात योजना में रिक्त भूमि पर नियोजन के मानचित्र अनुमोदन हेतु।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित योजना क्षेत्र का भू-उपयोग OPEN SPACE है जो कि नये मास्टर प्लान 2031 में आवासीय दर्शाया गया है। कोटा मास्टर प्लान-2031 में मास्टर प्लान-2023 के Urbanisable area के प्रस्ताव को फिलहाल यथावत रखा गया है। अतः मास्टर प्लान-2023 में भू-उपयोग OPEN SPACE होने के कारण वर्तमान में आवासीय योजना अनुमोदन नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण को स्थगित किया गया।

21

एजेण्डा नं 14	नीलामी से निस्तारित/निस्तारणीय वाणिज्यिक भूखण्डों में निर्माण हेतु लागू टाईप डिजाईन उपलब्ध कराने के क्रम में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत टाईप डिजाईन केवल शॉपिंग सेन्टर की योजना जिनमें कॉमन पार्किंग का प्रावधान है, में लागू होगी।
एजेण्डा नं 15	चक-6-जेड-ए, नई आवासीय योजना श्रीगंगानगर की प्लानिंग बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से एजेण्डा प्रस्तावानुसार इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया कि प्रकरण में यथास्थिति के स्थगन आदेश के संबंध में उप आवासन आयुक्त द्वारा योजना की क्रियान्विति से पूर्व विधिक राय प्राप्त कर विधिक राय अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जावे।
एजेण्डा नं 16	सेक्टर-28, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर स्थित योजना में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन एवं विकलांग कल्याण संस्थान के भवन निर्माण हेतु 2000.00 वर्ग मीटर भूमि एवं श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान को 2674.10 वर्ग मीटर भूमि के नियोजन हेतु।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् एजेण्डा प्रस्तावानुसार सर्वसम्मति से भूखण्डों में नाले की ओर का सैटबैक 9.00 मीटर रखते हुए प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 17	राष्ट्रीय आयुष की योजना के माध्यम से 50 शैयाओं वाले चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रताप नगर सेक्टर-10 में लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि के निशुल्क आवंटन के लिए व्यावसायिक भूमि से संस्थानिक में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने बाबत्।
निर्णय	प्रस्तावित स्थल का पूर्व में दिनांक 21.12.2006 को आयोजित परियोजना समिति की 111वीं बैठक में संस्थानिक भू-उपयोग से व्यावसायिक भू-उपयोग में संशोधन किया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पी.ए.सी. में लिये गये निर्णय अनुसार व्यावसायिक से संस्थानिक प्रयोजन रखते हुए योजना में संशोधन करते हुए स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 18	हाउसिंग स्कीम वेस्ट एक्सटेंशन, चौपासनी रोड (चौपासनी स्कीम), जोधपुर के मकान संख्या 17-ई-155 से 17-ई-167 तथा 17-ई-179 से 17-ई-189 तक के भूखण्डों के पुर्ननियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट एवं नीलामी द्वारा आवंटन पत्रों व साईट प्लान का अवलोकन किया गया। सभी तथ्यों पर विवेचन पश्चात समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्तावानुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवास संख्या 17-ई-167 व 17-ई-179 तथा आवास संख्या 17-ई-175 से 17-ई-178 के बीच में स्थित गली को यथावत रखा जावे। जिन भूखण्डधारियों द्वारा गली में छज्जा/बालकनी आदि निकाल कर अतिक्रमण कर रखा है उन पर नियमानुसार उप आवासन आयुक्त स्थानीय निकाय के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही करावे।


21

एजेण्डा नं 19	मानसरोवर योजना जयपुर में भृगु पथ सड़क की चौड़ाई का मौके के अनुसार निर्धारण करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण को स्थगित किया गया।

अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अतिरिक्त एजेण्डा नं 1	मानसरोवर योजना के अरावली मार्ग, सेक्टर-7 पर स्थित डिस्पेन्सरी की भूमि को संस्थागत उपयोग हेतु आरक्षित करने बाबत् वूमैन ऑफ इण्डिया शोईंग ह्युमिनीटी (ऑंचल) की पत्रावली समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई।
निर्णय	वूमैन ऑफ इण्डिया शोईंग ह्युमिनीटी (ऑंचल) की पत्रावली पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। डिस्पेन्सरी उपयोग संस्थानिक भू-उपयोग की श्रेणी में आती है एवं आस-पास समुचित मेडिकल एवं हैल्थ सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण एवं प्रश्नगत भूखण्ड के एक भाग में अस्पताल के लिए भूखण्ड का आवंटन किये जाने के कारण शेष भूखण्ड को डिस्पेन्सरी के स्थान पर संस्थानिक उपयोग हेतु योजना में आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


 (एस. एल. सेठी)
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
 सदस्य-सचिव,